



सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 592]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 30, 2008/वैशाख 10, 1930

No. 592]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 30, 2008/VAISAKHA 10, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2008

तालिका

का.आ. 1060(अ).—यतः मै. इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन आफ तमिलनाडु लि. ने तमिलनाडु राज्य में वडापलंजी गाँव मडुरै साउथ तालुक और किन्नीमंगलम गाँव, तिरुमंगलम तालुक, मडुरै II, मडुरै जिला, तमिलनाडु में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;

और यतः केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने उक्त वडापलंजी गाँव मडुरै साउथ तालुक और किन्नीमंगलम गाँव, तिरुमंगलम तालुक, मडुरै II, मडुरै जिला, तमिलनाडु में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन के विकास एवं प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (10) के अंतर्गत दिनांक 30 जुलाई, 2007 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है;

अतः, अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा तमिलनाडु राज्य में वडापलंजी गाँव मडुरै साउथ तालुक और किन्नीमंगलम गाँव, तिरुमंगलम तालुक, मडुरै II, मडुरै जिला, तमिलनाडु में निम्नलिखित क्षेत्र को एक विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित करती है जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात् :—

क्र. सं.	सर्वेक्षण सं.	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
1.	77/5	0.60.5
2.	78	3.66.0
3.	79/1	3.57.0
4.	80/1	0.54.0
5.	80/2	1.68.0
6.	80/4	1.20.0
7.	81/1	0.82.5
8.	81/2	0.92.5
9.	82/5	0.88.0
10.	84/5	2.55.0
11.	85	3.34.5
12.	86	3.41.0
13.	87/1	2.04.5
14.	87/2	0.16.0
15.	87/4	2.34.5
16.	88/1	0.01.5
17.	88/3	1.97.5

(1)	(2)	(3)
18.	89	4.09.5
19.	90/1	0.21.0
20.	90/2	2.23.5
21.	90/3	2.51.0
22.	91/1	0.72.0
23.	91/2	2.61.0
24.	91/3	0.35.5
25.	92/1	0.84.5
26.	92/2ए	1.43.5
27.	92/2बी	1.43.5
28.	92/3	0.26.0
29.	101/1	2.34.0
30.	101/2	1.44.0
31.	101/3	0.26.0
32.	104	4.44.5
33.	105	3.30.0
34.	106	4.21.5
35.	107	2.59.0
36.	108/1	3.31.0
37.	108/2	0.22.0
38.	108/8	0.48.5
39.	109/1	1.39.5
40.	209	7.48.0
41.	210	4.77.5
42.	211	3.77.0
	योग	86.46.5

[सं. फा. 1/56/2007-एसईजेड]

अनिल मुक्तीम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2008

S.O. 1060(E).—Whereas M/s. **Electronics Corporation of Tamil Nadu Limited**, has proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of

2005), (hereinafter referred to as the said Act), to set up a sector specific Special Economic Zone for information technology and information technology enabled services at **Vadapalanji Village**, Madurai South Taluk and Kinnimangalam Village, Tirumangalam Taluk, Madurai II, Madurai District in the State of Tamil Nadu.

And whereas the Central Government is satisfied that requirements under sub-section (8) of Section 3 of the said Act, and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under sub-section (10) of Section 3 of the said Act for development and operation of the sector specific Special Economic Zone for information technology and information technology enabled services at the said area of Ilandhaikulam Village on 26th July, 2007;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby notifies the following area at Vadapalanji Village, Madurai South Taluk and Kinnimangalam Village, Tirumangalam Taluk, Madurai II, Madurai District in the State of Tamil Nadu, comprising of the Survey numbers and the area given in the Table below, as a Special Economic Zone, namely :—

TABLE

Sl. No.	Survey Numbers	Area (in Hectares)
(1)	(2)	(3)
1.	77/5	0.60.5
2.	78	3.66.0
3.	79/1	3.57.0
4.	80/1	0.54.0
5.	80/2	1.68.0
6.	80/4	1.20.0
7.	81/1	0.82.5
8.	81/2	0.92.5
9.	82/5	0.88.0
10.	84/5	2.55.0
11.	85	3.34.5
12.	86	3.41.0
13.	87/1	2.04.5
14.	87/2	0.16.0
15.	87/4	2.34.5
16.	88/1	0.01.5

(1)	(2)	(3)
17.	88/3	1.97.5
18.	89	4.09.5
19.	90/1	0.21.0
20.	90/2	2.23.5
21.	90/3	2.51.0
22.	91/1	0.72.0
23.	91/2	2.61.0
24.	91/3	0.35.5
25.	92/1	0.84.5
26.	92/2A	1.43.5
27.	92/2B	1.43.5
28.	92/3	0.26.0
29.	101/1	2.34.0
30.	101/2	1.44.0
31.	101/3	0.26.0
32.	104	4.44.5
33.	105	3.30.0
34.	106	4.21.5
35.	107	2.59.0
36.	108/1	3.31.0
37.	108/2	0.22.0
38.	108/8	0.48.5
39.	109/1	1.39.5
40.	209	7.48.0
41.	210	4.77.5
42.	211	3.77.0
TOTAL		86.46.5

[No. F. 1/56/2007-SEZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2008

का.आ. 1061(अ).—विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ मै. इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन आफ तमिलनाडु लि. द्वारा

वडापलंजी गाँव, मदुरै साउथ तालुक और किन्नीमंगलम गाँव, तिरुमंगलम तालुक, मदुरै II, मदुरै जिला, तमिलनाडु में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन के लिए एक समिति, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं, अर्थात् :—

1. विकास आयुक्त, एमईपीजेड, अध्यक्ष, पदेन विशेष आर्थिक जोन
2. निदेशक/उप-सचिव, भारत सरकार, सदस्य, पदेन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग या उसका नामिती जिसका स्तर अवर सचिव, भारत सरकार से कम नहीं होगा
3. क्षेत्रीय संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक, सदस्य, पदेन चेन्नई
4. विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय सदस्य, पदेन क्षेत्राधिकार रखने वाले सीमाशुल्क आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त अथवा उनका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा
5. एसईजेड पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने सदस्य, पदेन वाले आयकर आयुक्त अथवा उसका नामिति जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा
6. निदेशक (बैंकिंग), वित्त मंत्रालय, बैंकिंग सदस्य, पदेन प्रभाग, भारत सरकार
7. निदेशक, तमिलनाडु इंडस्ट्रियल गाइडेंस सदस्य, पदेन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो, तमिलनाडु सरकार
8. सचिव उद्योग, तमिलनाडु सरकार सदस्य, पदेन
9. मै. इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लि. विशेष आमंत्रिती तमिलनाडु के प्रतिनिधी (विकास कर्ता)

2. विशेष आर्थिक जोन के विकास आयुक्त की अनुपस्थिति में उनका प्रतिनिधित्व वह अधिकारी करेगा जिसका स्तर संयुक्त विकास आयुक्त से कम नहीं होगा।

[सं. फा. 1/56/2007-एसईजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2008

S.O. 1061(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the information technology/information

technology enabled services Special Economic Zone at Vadapalanji Village, Madurai South Taluk and Kinnimangalam Village, Tirumangalam Taluk, Madurai II, Madurai District Tamil Nadu developed By M/s. Electronics Corporation of Tamil Nadu Limited for the purposes of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely :—

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Development Commissioner
MEPZ Special Economic Zone | Chairperson,
ex-officio |
| 2. Director or Deputy Secretary
to the Government of India,
Ministry of Commerce and
Industry, Department of
Commerce or his nominee not
below the rank of Under
Secretary to the Government
of India | Member,
ex-officio |
| 3. Zonal Joint Director General of
Foreign Trade, Chennai | Member,
ex-officio |
| 4. Commissioner of Customs or
Central Excise having territorial
jurisdiction over the Special
Economic Zone or his nominee
not below the rank of Joint
Commissioner | Member,
ex-officio |
| 5. Commissioner of Income Tax
having territorial jurisdiction
over the Special Economic
Zone or his nominee not
below the rank of Joint
Commissioner | Member,
ex-officio |
| 6. Director (Banking) in the Ministry
of Finance, Banking Division,
Government of India | Member,
ex-officio |
| 7. Director, Tamil Nadu Industrial
Guidance and Export Promotion
Bureau, Government of
Tamil Nadu | Member,
ex-officio |

- | | |
|---|-----------------------|
| 8. Secretary (Industries),
Government of Tamil Nadu | Member,
ex-officio |
| 9. Representative of M/s. Electronics
Corporation of Tamil Nadu
Limited (Developer) | Special
Invitee |

2. In the absence of Development Commissioner of the Special Economic Zone, an officer not below the rank of Joint Development Commissioner will represent him.

[No. F. 1/56/2007-SEZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2008

का.आ. 1062(अ).—विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 53 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा दिनांक 30 अप्रैल, 2008 को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है जिससे तमिलनाडु राज्य में वडापलंजी गाँव मद्रुरै साउथ तालुक और किन्नीमंगलम गाँव, तिरुमंगलम तालुक, मद्रुरै II, मद्रुरै जिला, तमिलनाडु में मै इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन आफ तमिलनाडु लि. द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन के लिए एसईजेड को सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 7 के अंतर्गत अंतर्देशीय कंटेनर डिपो माना जाएगा।

[सं. फा. 1/56/2007-एसईजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2008

S.O. 1062(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 53 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby appoints the 30th day of April 2008 as the date from which the information technology/information technology enabled services Special Economic Zone at Vadapalanji Village, Madurai South Taluk and Kinnimangalam Village, Tirumangalam Taluk, Madurai II, Madurai District Tamil Nadu by M/s. Electronics Corporation of Tamil Nadu Limited shall be deemed to be Inland Container Depot under section 7 of the Customs Act, 1962.

[No. F. 1/56/2007-SEZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.